बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली-2023 अधिसूचित

चर्चा में क्यों?

22 मई, 2023 को बिहार के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव सह निबंधन आयुक्त विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने कैबिनेट से मंजूर बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली-2023 को अधिसूचित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- अब सूबे के निबंधन कार्यालयों में विभाग द्वारा अनुमोदित मॉडल डीड के प्रारूप की टंकित प्रति पर ही दस्तावेज़ों का निबंधन स्वीकृत किया जाएगा। मॉडल डीड के माध्यम से पक्षकार द्वारा बिना किसी बाहरी सहयोग के दस्तावेज़ों का निबंधन कराया जा सकता है।
- निबंधन कार्यालयों ने एक अप्रैल 2023 से 20 मई, 2023 तक 82 लाख से अधिक दस्तावेज़ों की मॉडल डीड के माध्यम से रजिस्ट्री की है। आम जनों की सुविधा के लिये विभागीय वेबसाइट पर 25 प्रकार के मॉडल डीड का प्रारूप उपलब्ध है।
- विभागीय सचिव ने बताया कि 2023-24 के पहले 50 दिन में निबंधन कार्यालयों ने 853.82 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति की है। यह वार्षिक राजस्व लक्ष्य 6300 करोड़ रुपए का 13.55 फीसदी है। पिछले साल इस अवधि में करीब 800 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bihar-registration-rules-2023